



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP04167494066710V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP04167494066710V
 Certificate Issued Date : 02-Sep-2023 07:04 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/up14348704/LALITPURI SADARI/UP-LTP
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1434870403963521470148V
 Purchased by : PAHALWAN GURUDEEN SMARAK SIKSHAN SEVA SANSTHAN
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : PAHALWAN GURUDEEN SMARAK SIKSHAN SEVA SANSTHAN
 Second Party : BOARD OF TECHNICAL EDUCATION
 Stamp Duty Paid By : PAHALWAN GURUDEEN SMARAK SIKSHAN SEVA SANSTHAN
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 100
 (One Hundred only)



फारम नं० (प्रारूप-आ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम सितारा देवी प्रबंधक), एवं सूर्यनाथ यादव सचिव जयप्रकाश कर्मरा अध्यक्ष एवं प्रबन्धक पहलवान गुरुदीन स्मारक शिक्षण सेवा संस्था सोसाइटी ग्राम नखतपुर तहसील मछली शहर जनपद जौनपुर शपथ पूर्वक निम्नवत् बयान करती है-

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा पी० जी० ग्रुप ऑफ कॉलेज फार्मसी ग्राम नखतपुर तहसील मछली शहर जनपद जौनपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम ग्राम नखतपुर तहसील मछली शहर जनपद जौनपुर में गाटा संख्या 360 ख एवं 360 रकबा क्रमशः 405 हे० एवं 405 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी बाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह है की उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या गाटा संख्या 360 ख एवं 360 रकबा क्रमशः 405 हे० एवं 405 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 16.02.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संभालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संभालन किया जायेगा।

सितारा

Disclaimer Alert

1. Government of India, New Delhi has provided a stamp on this document. It is not a legal document. It is only a certificate of purchase.
2. The user is responsible for the accuracy of the information provided in this document.
3. The user is responsible for the accuracy of the information provided in this document.

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

सितारा

ह0 अध्यक्ष

